



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 993] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 12, 2017/अग्रहायण 21, 1939
No. 993] NEW DELHI TUESDAY, DECEMBER 12, 2017/ AGRAHAYANA 21, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2017

सा.का.नि. 1506(अ).—केन्द्रीय सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 73 की उप-धारा (2) के खंड (झ), खंड (ञ), खंड (ज) और खंड (ट) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) सातवां संशोधन नियम, 2017 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 में नियम 9 में,—
(क) उप-नियम (17) में,—
(i) खण्ड (क) के परन्तुक में “31 दिसंबर, 2017 तक आधार संख्या और स्थायी खाता संख्या प्रस्तुत करें” शब्दों, आंकड़ों और अक्षरों के स्थान पर निम्नलिखित शब्दों, आंकड़ों और अक्षरों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
“आधार संख्या और स्थायी खाता संख्या अथवा प्रपत्र सं० 60 को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की गई तिथि तक प्रस्तुत करें”;
(ii) खण्ड (ग) के परन्तुक को निम्नलिखित परन्तुक से अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
“बशर्ते ग्राहक के इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पहले ही रिपोर्टिंग संस्थाओं से खाता-आधारित संबंध हो और वह केंद्र सरकार द्वारा यथा अधिसूचित तारीख तक आधार संख्या और स्थायी खाता संख्या प्रस्तुत नहीं करता है तो ऐसे मामले में उक्त खातों को बन्द कर दिया जाएगा जब तक ग्राहक अपनी आधार संख्या और स्थायी खाता संख्या प्रस्तुत नहीं करता है।”

[अधिसूचना सं. 9/2017/फा. सं. पी 12011/11/2016-ईएस सैल-डीओआर]

बिप्लव कुमार नस्कर, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, आसाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. सं. 444 (अ), तारीख 1 जुलाई, 2005 को प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. सं. 717(अ), तारीख 13 दिसंबर, 2005, सा.का.नि. सं. 389(अ), तारीख 24 मई, 2007, सा.का.नि. सं. 816(अ), तारीख 12 नवंबर, 2009, सा.का.नि. सं. 76(अ), तारीख 12 फरवरी, 2010, सा.का.नि. सं. 508(अ), तारीख 16 जून, 2010, सा.का.नि. सं. 980(अ), तारीख 16 दिसंबर, 2010, सा.का.नि. सं. 481(अ), तारीख 24 जून, 2011, सा.का.नि. सं. 576(अ), तारीख 27 अगस्त, 2013, सा.का.नि. सं. 288(अ), तारीख 15 अप्रैल, 2015, सा.का.नि. सं. 544(अ), तारीख 7 जुलाई, 2015, सा.का.नि. सं. 693(अ), तारीख 11 सितंबर, 2015, सा.का.नि. सं. 730(अ), तारीख 22 सितंबर, 2015, सा.का.नि. सं. 882(अ), तारीख 18 नवंबर, 2015, सा.का.नि. सं. 347(अ), तारीख 12 अप्रैल, 2017, सा.का.नि. सं. 538(अ), तारीख 1 जून, 2017, सा.का.नि. सं. 1038(अ), तारीख 21 अगस्त, 2017, सा.का.नि. सं. 1057(अ), तारीख 23 अगस्त, 2017, सा.का.नि. सं. 1300(अ), तारीख 16 अक्तूबर, 2017 और सा.का.नि. 1318(अ), दिनांक 23 अक्तूबर, 2017 को संशोधन किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2017

G.S.R. 1506(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (i), clause (j), clause (jj) and clause (k) of sub-section (2) of section 73 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government in consultation with the Reserve Bank of India hereby makes the following rules further to amend the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005, namely:—

1. (1) These rules may be called the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Seventh Amendment Rules, 2017.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005, in rule 9,—
 - (a) in sub-rule (17),—
 - (i) in the proviso to clause (a), for the words, figures and letters “submit the Aadhaar number and Permanent Account Number by 31st December, 2017”, the following words, letters and figures shall be substituted, namely:—
“submit the Aadhaar number, and Permanent Account Number or Form No. 60, by such date as may be notified by the Central Government”;
 - (ii) for the proviso to clause (c), the following proviso shall be substituted, namely:—
“Provided that in case the client already having an account based relationship with reporting entities prior to the date of publication of this notification in the official Gazette fails to submit the Aadhaar number and Permanent Account Number by such date as may be notified by the Central Government, the said account shall cease to be operational till the time the Aadhaar Number and Permanent Account Number is submitted by the client.”

[Notification No. 9/2017/F. No. P.12011/11/2016-ES Cell-DoR]

BIPLAB KUMAR NASKAR, Under Secy.

Note : The principal rules were published in Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (i) vide number G.S.R. 444(E), dated the 1st July, 2005 and subsequently amended by number G.S.R. 717(E), dated the 13th December, 2005, number G.S.R. 389(E), dated the 24th May, 2007, number G.S.R. 816(E), dated the 12th November, 2009, number G.S.R. 76(E), dated the 12th February, 2010, number G.S.R. 508(E), dated the 16th June, 2010, number G.S.R. 980(E), dated the 16th December, 2010, number G.S.R. 481(E), dated the 24th June, 2011 and number G.S.R. 576(E), dated the 27th August, 2013, number G.S.R. 288(E), dated the 15th April, 2015, number G.S.R. 544(E), dated the 7th July, 2015, number G.S.R. 693(E), dated the 11th September, 2015, number G.S.R. 730(E), dated the 22nd September, 2015, number G.S.R. 882(E), dated the 18th November, 2015, number G.S.R. 347(E), dated the 12th April, 2017, number G.S.R. 538(E), dated the 1st June, 2017, number G.S.R. 1038(E), dated the 21st August, 2017, number G.S.R. 1057(E), dated the 23rd August, 2017, G.S.R. 1300(E), dated the 16th October, 2017 and G.S.R. 1318(E), dated the 23rd October, 2017.